रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1975/आश्विन 5, 1897

No. 272] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September 1975

G.S.R. 507(E).—The following draft of rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adultration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 23 of said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which copies of the official gazette in which this notification was published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified above shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1975.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 32, after sub-clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(bb) The date or month of expiry;"

3. In Appendix B to the said rules:

(a) in item A.16.06, in clause (c), the words "and Colours" shall be omitted;

(b) after item A.16.12, and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:—

"A.16.13 Mango-pulp (Canned) shall be extracted from sound ripe fruit. It shall possess the characteristic flavour of the variety of mango from which it is extracted. It shall be free from any extraneous matter *viz*. portion of skin, fibrous matter, larva and other insects or fragments thereof. The pulp shall not show any sign of fermentation when incubated at 28°C, 30°C or 37°C. The canned product shall not show any positive pressure at sea level. The product shall not have any cooked flavour and be free from black specks. The product shall be properly screened through a sieve and minimum 1.5. m.m. mesh and the finished product shall be homogeneous. The total soluble solids shall not be less than 15 per cent and the minimum acidity shall be 0.3 per cent as Citric acid.

A.16.14 *Tamarind Concentrate*:—The product shall be derived from sound tamarind. The Tamarind extract shall be properly strained and be free from pieces of stocks and fibrous matter. The concentrate shall have flavour characteristic of tamarind and free from burnt and any other objectionable flavour and taste. It shall be of good keeping quality. Canned tamarind concentrate shall not show any positive pressure at sea level. It shall be free from moulds, living or dead insects, insects fragments and rodent contamination.

It shall conform to the following standards, namely:—

(a) minimum percentage of acidity as tartaric acid.	..	9 per cent.
(b) ash insoluble in dilute hydrochloric acid	..	not more than 0.8 per cent.
(c) total soluble solids	..	Not less than 65 per cent."

(c) in item A.18.06, in sub-clause (ii), the following shall be inserted at the end, namely:—

"Bajra and wheat grains shall not contain ergot affected grains more than 0.15 per cent by weight."

(d) after item A.27.01, and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"A.28 Groundnut kernels for direct human consumption commonly known as Moonghphali are obtained from the plant arachis hypogoes. The kernels shall be free from non-edible seeds such as mahua, castor, neem or argemone etc. It shall be free from colouring matter, preservatives or any other extraneous substance. The kernels shall confrom to the following standards, namely:—

(a) Moisture		Not more than 7 per cent.
(b) Damaged Kernel and slightly damaged Kernel		Not more than 5 per cent."

[No P. 15014/2/75-P.H.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर 1975

सा० का० नि० 507 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 में और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में अपेक्षित है,

प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रारूप पर, उस तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई हो, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

उक्त विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इस के पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 32 में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) समाप्ति की तारीख या मास,"

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में,—

(क) मद क. 16.06 में, खण्ड (ग) में, "और रंगों" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) मद क. 16.12 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"क. 16.13 आम का गूदा (डिब्बा-बंद) अक्षत पके फलों से निकाला जाएगा। जिस किस्म के आम से इसे निकाला जाए, इसमें उसकी विशिष्ट महक होगी। यह किसी भी बाह्य पदार्थ, अर्थात् छिलके के अंश, रेशेदार पदार्थ, लार्वा या अन्य कीटों या उनके खण्डों से मुक्त होगा। गूदे को जब 28° सें०, 30° सें० या 37° सें० कापर गरम किया जाएगा तो उसमें किण्वन के कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। डिब्ब-बंद उत्पाद में समुद्र-तल पर कोई घनात्मक दाब प्रकट नहीं होगा। उत्पाद में ऐसी महक न होगी कि वह पकाया गया ज्ञात हो और यह काली चित्तियों से मुक्त होगा। उत्पाद को कम से कम 1.5 मि० मी० की जाली वाली छलनी से भली प्रकार छाना जाएगा और तैयार उत्पाद समजातीय होगा। कुल विलेय पिण्ड 15 प्रतिशत से कम न होंगे और न्यूनतम अम्लता साइट्रिक अम्ल के रूप में 0.3 प्रतिशत होगी।

क. 16.14 **इमली सांद्र**.—उत्पाद विशुद्ध इमली से निकाला जाएगा इमली का सत्व ठीक प्रकार से छाना जाएगा और वह वृन्त के टुकड़ों और रेशेदार पदार्थ से मुक्त होगा। सान्द्र में इमली की विशिष्ट महक होगी और वह जली हुई और किसी अन्य अरूचिकर महक या स्वाद से मुक्त होगा। डिब्बा-बंद इमली सान्द्र में समुद्र तल पर कोई घनात्मक दाब प्रकट नहीं होगा। यह फफूंदी, जीवित या मृत कीटों, कीट खण्डों और कृतक संदषण से मुक्त होगा।

यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(क) टार्टरिक अम्ल के रूप में अम्ल का न्यूनतम प्रतिशत 9 प्रतिशत

(ख) पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	0.8 प्रतिशत से अनधिक
(ग) कुल विलय पिण्ड	65 प्रतिशत से अन्यून ।"

(ग) मद क. 18.06 में, उपखण्ड (ii) में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"बाजरा और गेंहूं अनाज में अर्गट प्रभावित दानों की संख्या भार द्वारा 0.15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।"

(घ) मद क. 27.01 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"क. 28 सीधे मानव उपभोग के लिए मूंगफली की मींगी, जिसे साधारणतः मूंगफली कहा जाता है, मूंगफली के पौधे से प्राप्त की जाती है । मींगी, न खाने योग्य बीजों जैसे महुआ, रेंडी, नीम या आजिमोन आदि से मुक्त होगी । यह रंजक द्रव्य, परिरक्षकों या किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी, मींगी निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:—

(क) आर्द्रता	7 प्रतिशत से अनधिक
(ख) खराब हुई मींगी तथा कम खराब हुई मींगी	5 प्रतिशत से अनधिक ।"

[सं० पी० 15014/2/75-पी० एच०]

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव ।

TED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975